

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ3(ख)एस—62/2013/अलेसे—ग/**421**

दिनांक :— **05.07.2023**

कार्यालय आदेश

श्री सुभाष पांडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—ग (लिंक नं. 9815) कार्यालय उप कोषाधिकारी, रत्नगढ़ (चूरू) को निम्न परीक्षा में प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र. सं.	नाम परीक्षा	सत्र/वर्ष	आयोजक संस्था
1	नेट (वाणिज्य)	जून, 2023	एनटीए

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


 (कै. जी. गुप्ता)
 निदेशक एवं पदेन
 संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :— एफ3(ख)एस—62/2013/अलेसे—ग/**421**

दिनांक :— **05.07.2023**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित विभाग / कार्यालय
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय |
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु |
4. संबंधित कार्मिक


 (कै. जी. गुप्ता)
 अति. निदेशक (कार्मिक—ग एवं गा)